<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 61516</u> <u>संस्थापन दिनांक:-29 / 09 / 15</u> <u>फायलिंग नं. 233504002342015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

राजू उर्फ राजकुमार उम्र 47 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 31.07.2015 को रात 11:00 बजे प्रार्थिया के घर के सामने रानीडोंगरी थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उसपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2015 को रात्रि लगभग 9–10 बजे अपने घर पर थी तभी अभियुक्त आया और उससे पानी मांगा। जब वह घर के बाहर निकली तो अभियुक्त से अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बांहों में लेने लगा और कहा कि आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है तेरा आदमी बाहर गया है। उसका पित उसके ससुर के पुराने मकान पर गया था। अभियुक्त ने उससे कहा कि आज तू मुझे खुश कर दे और बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा। जब वह चिल्लायी और झूमाझटकी हुई तो उसका देवर कमलेश, मनोहर, गिरधारी और पित सत्या आ गये और अभियुक्त को पकड़ लिया तथा बाद में अभियुक्त हाथापाई कर छूटकर भाग गया। फिरयादी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 474 / 15 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक बनाया गया। विवेचना

पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्त की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 354 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.07.2015 को रात 11:00 बजे प्रार्थिया के घर के सामने रानीडोंगरी थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 फरियादी (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना उसके घर के सामने की रात 8 बजे की थी। अभियुक्त उसके घर के सामने आया और उससे पानी मांगा। जब वह पानी देने के लिए बाहर निकली तो बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बांहो में ले लिया, झूमा झटकी किया और उसका सीना दबाया। घटना मनोहर ने देखी थी और पित को उसने घटना की पूरी जानकारी दी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी। सत्या (अ. सा.—2) ने यह बताया है कि घटना उसके घर के सामने की रात 8 बजे की है। घटना के समय वह पुराने घर पर था। जब उसे चिल्लाने की आवाज आयी तो वह मौके पर पहुंचा। रास्ते में अभियुक्त राजू भागते हुए मिला। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने रोते हुए बताया कि अभियुक्त ने उससे पानी मांगा था। जब वह पानी दी तो उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मुझे खुश कर दे तेरा आदमी नहीं है। अभियुक्त ने उसके साथ झूमा झटकी भी किया था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।
- 7 जितेंद्र सिंह (अ.सा.—3) का कहना है कि वह दिनांक 23.09.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क. 474/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 29.09.2015

को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

8 फरियादी (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा उसके घर के सामने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ना, झूमा झटकी करना और सीना दबाना बताया है। सत्या (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि जब वह घर पहुंचा था तो उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा था कि तेरा आदमी घर पर नहीं है उसे खुश कर दे और झूमा झटकी भी किया था।

फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि रात के 9 बजे घर पर वह अकेली थी। उसका पति सास के घर पर गया था। घर पर घटना के समय बच्चे हो गये थे। वह भी सो गयी थी। घर पर लाईट नहीं थी। दीपक जल रहा था। उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर अभियुक्त का घर है। अभियुक्त के घ ार में पानी पीने की व्यवस्था है या नहीं इस बात की जानकारी उसे नहीं है। उसके पति के बाहर जाने के कारण दरवाजा खुला हुआ था। उसने पूरे मोहल्ले में चिल्ला-चिल्ला कर यह बताया था कि अभियुक्त उसके घर पानी मांगने के लिए आया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अभियुक्त उसके घर में आया, तब उसने पानी दिया था और इसके बाद कहा कि घर जाओ। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसका हाथ नहीं छुआ। स्वतः में कहा कि अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया था, बांहो में ले लिया था, उसका सीना भी दबाया था। अभियुक्त उसके घर के अंदर पहले कमरे में आया था और घर के अंदर बैठकर पानी पिया था। घटना के समय तीनों बच्चे जाग गये थे। बड़े वाले बच्चे ने अभियुक्त को डांटकर भगाया था। उसके घर से चिल्लाने पर सास-ससुर के घर तक आवाज पहुंच जाती है। पुनः से इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। यह कहना सही है कि बताया है कि जब उसका पति भिक्षावृत्ति में घूमने फिरने जाता था तब वह अभियुक्त से बात करती थी तो इस बात की नाराजगी उसके सास-ससूर को होती थी। इस बात को भी सही होना बताया है कि जब उसका पति मांग कर घूम फिरकर वापस आता था तो सास-ससुर अभियुक्त राजकुमार से बातचीत करने के बारे में बताते थे तब उसका पित सत्या डांटता था और कहता था कि अभियुक्त राजकुमार से बात क्यों करती हो। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसके पति ने अभियुक्त राजकुमार से बात करने के लिए मना किया था। स्वतः कहा कि इस घटना के बाद उसने राजकुमार से बात करना बंद कर दिया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त राजकुमार ने इस घटना के पहले उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट की थी और अपने पति को बचाने के लिए उसने अभियुक्त के खिलाफ यह झुठा मामला डाला है।

- 10 सत्या (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि इस घटना के पहले अभियुक्त राजकुमार ने उसके विरुद्ध मारपीट की शिकायत की थी। जब उसकी पत्नी ने चिल्लाया था तब वह मौके पर पहुंच गया था। स्वतः में बताया है कि घटना के बाद पहुंचा था। उसने आरोपी को पकड़ लिया था। स्वतः कहा कि आरोपी छूटकर भाग गया था, पहले मनोहर ने पकड़ा था। बचाव अधिवक्ता द्वारा साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रडी—7 का अ से अ और ब से ब भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसे कथन देने से इनकार किया है। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके माता पिता बोलते थे कि जब भी वह मांगने खाने बाहर जाता है तो उसकी अनुपस्थित में उसकी पत्नी अभियुक्त से बातचीत करती थी।
- प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1) एवं सत्या (अ.सा.-2) के कथनों में 11 विरोधाभास है। घटना दिनांक 31.07.2015 की है। जबकि थाने में घटना की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2015 को की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कोई भी स्पष्टीकरण फरियादी की ओर से नहीं दिया गया है। फरियादी के कथनोनुसार अभियुक्त ने उसे घर के सामने पानी मांगा और घटना घर के सामने ही हुई। जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने घर के पहले वाले कमरे में बैठकर पानी पिया था। बड़े वाले बच्चे ने अभियुक्त को डांटकर भगाया था। मनोहर ने घटना देखी थी। जबिक साक्षी सत्या ने यह बताया है कि मनोहर ने अभियुक्त को पकड़ लिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि मौके पर ही फरियादी के द्वारा शोर किये जाने पर उसके पति तथा अन्य लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया था परंतु अभियुक्त हाथा-पाई करके भाग गया था। जबकि इस संबंध में फरियादी (अ.सा.-1) ने अपने कथनों में केवल यह बताया है कि घटना होने के बाद सब लोग आये थे तथा मौके पर अभियुक्त को पकड लिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार फरियादी एवं साक्षी सत्या के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा फरियादी के कथन अभियोजन कथा से समर्थित भी नहीं है एवं घ ाटना की रिपोर्ट घटना के लगभग एक माह बाद लेख करायी गयी है। विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 12 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय वह स्थान पर अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की लज्जा भंग होगी उसपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। निष्कर्षतः अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार को धारा 354 भा0दं0सं0 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)